भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-77

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

उत्तर प्रदेश के गांवों का विद्युतीकरण

***77. श्री नरेश अग्रवालः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी पचास प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार सभी गांवों के विद्युतीकरण के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ग) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी धनराशि की मांग की है और केन्द्रीय सरकार ने इसके अंतर्गत कितनी धनराशि उपलब्ध करायी है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"उत्तर प्रदेश के गाँवों का विद्युतीकरण" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 25.07.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 77 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) और (ख) : उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1529 ऐसे गांव थे जो विद्युतीकृत नहीं थे। दिनांक 17.07.2016 की स्थिति के अनुसार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 1356 गांवों में विद्युतीकरण के कार्य पूरे कर दिए गए हैं। शेष गैर-विद्युतीकृत गांवों को मई, 2018 से पूर्व विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

(ग) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 6946.91 करोड़ रूपए मूल्य की 75 नई परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के लिए संस्वीकृत कर दी गई हैं। अप्रैल, 2014-15 से 30.06.2016 तक विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए कुल 2666.85 करोड़ रूपए जारी कर दिए गए हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-86

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

घरों में तथा सड़कों पर एल.ई.डी. आधारित
प्रकाश-व्यवस्था संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम

86. श्री देरेक ओब्राईनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) घरों में तथा सड़कों पर एल.ई.डी. आधारित प्रकाश-व्यवस्था संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कितने एल.ई.डी. बल्ब संवितरित किए गए हैं और उन पर कितनी धनराशि व्यय हुई है;

(ख) क्या सरकार ने एक सौ शहरों में घरों तथा सड़कों पर प्रकाश-व्यवस्था के लिए एल.ई.डी. बल्ब लगाये जाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विगत वर्ष में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से ऊर्जा की अनुमानित कितनी बचत हुई है और ग्रीनहाउस गैसों में कितनी कमी आई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"घरों में तथा सड़कों पर एल.ई.डी. आधारित प्रकाश-व्यवस्था संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 25.07.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 86 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : "सभी के लिए वहनीय एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति" (उजाला) कार्यक्रम के अंतर्गत, दिनांक 18.07.2016 की स्थिति के अनुसार, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 13.15 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित कर दिए गए हैं। "मार्ग प्रकाश व्यवस्था राष्ट्रीय कार्यक्रम" (एसएलएनपी) के अंतर्गत, दिनांक 18.07.2016 की स्थिति के अनुसार, लगभग 10.84 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी हैं।

यह कार्यक्रम स्वैच्छिक प्रकृति का है जिसमें भारत सरकार से कोई बजटीय सहायता नहीं दी जाती है और यह संधारणीय व्यवसाय मॉडल पर आधारित है जिसमें लागत का भुगतान उपभोक्ता/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा बिजली के बिल में बचत के माध्यम से किसी समयावधि में ऊर्जा तथा अनुरक्षण व्यय में होने वाली बचत से किया जाता है।

(ख) : एसएलएनपी के अंतर्गत, 100 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में कार्यक्रम की शुरूआत करने का लक्ष्य था, जबकि 112 यूएलबी में पहले ही इसकी शुरूआत की जा चुकी है। उजाला के अंतर्गत, 100 नगरों/शहरों में कार्यक्रम की शुरूआत करने का लक्ष्य था, जबकि 128 नगरों/शहरों में इसकी पहले ही शुरूआत की जा चुकी है।

(ग) : दोनों कार्यक्रमों के कारण, विगत वर्ष के दौरान अनुमानित वार्षिक ऊर्जा बचत तथा ग्रीन हाउस गैसों में कमी क्रमशः 11,824 मिलियन कि.वा.घं. तथा 9.58 मिलियन टन CO_2 (कार्बनडाइ ऑक्साइड) रही।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-764

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

764. श्री अजय संचेतीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2014 से विद्युत क्षेत्र में शुरू किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों के विद्युत बोर्डों का कार्यनिष्पादन कैसा रहा है;

(ग) क्या सर्वाधिक हानि वाले राज्य वे हैं जहां प्रशुल्क औसत लागत की भरपाई करने में विफल रहते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार **ने** अधिनियम, नीतियों, विनियम और उनके अंतर्गत बनाए गए दिशा-निर्देशों के जरिए सुधारों को सभी तरह से सुकर बना**या** है। 2014 से सरकार ने विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए कई पहलें की हैं। इस संबंध में, 28.01.2016 को अधिसूचित प्रशुल्क नीति में व्यापक संशोधन किए गए हैं जिनमें उत्पादन परिसंपत्तियों के ईष्टतम उपयोग, जल विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन, वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, विनियामक अनिश्चितताओं **को कम करने** तथा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।

सरकार ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, ई-बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए विद्युत की खरीद के लिए "**दी**प (ऊर्जा दक्ष कीमतों की खोज) ई-बोली पोर्टल" की शुरूआत की है। इस संबंध में सरकार द्वारा विद्युत की अल्पावधि खरीद के लिए दिशानिर्देशों को भी संशोधित किया गया है।

भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय एवं प्रचालनात्मक टर्न-अराउण्ड के लिए दिनांक 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की भी शुरूआत की है। इस योजना का उद्देश्य ब्याज बोझ को कम करना, विद्युत की लागतों को कम करना, वितरण क्षेत्र में विद्युत हानियों को कम करना तथा डिस्कामों की प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार लाना है।

इसके अतिरिक्त**,** भारत सरकार ने यूटिलिटियों की अवसंरचना को सुदृढ़ करने, वितरण क्षेत्र में हानियों को कम करने तथा 24x7 विद्युत आपूर्ति के जरिए लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाने के लिए एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)**,** दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) जैसी कई अन्य योजनाओं की शुरूआत की है। सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए विद्युत एक्सचेंज में **प्रचालित** विद्युत कीमतों और किए गए व्यापार की मात्रा के लिए **'**विद्युत प्रवाह**',** ग्रामीण विद्युतीकरण **के लिए 'गर्व'** तथा सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं आदि के अंतर्गत एलईडी वितरण के संबंध में नवीनतम जानकारी के जरिए सभी के लिए उन्नत ज्योति वहनीय एलईडी हेतु **'उजाला'** जैसे विभिन्न वेब/मोबाइल एप्लिकेशन की शुरूआत की है।

(ख) : पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा प्रकाशित "राज्य विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन संबंधी रिपोर्ट" के अनुसार 2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए उपभोक्ताओं को सीधे विक्रय करने वाली यूटिलिटियों के लिए लाभप्रदता, अंतर तथा एटीएंडसी हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	2012-13	**2013-14**	**2014-15**
प्राप्त सब्सिडी आधार पर लाभ /(हानि) (रूपए करोड़ में)	(71,977)	(67,689)	(58,692)
आपूर्ति की औसत लागत (रू./किलोवाटघंटा)	5.01	5.16	5.14
प्राप्त सब्सिडी आधार पर औसत राजस्व **(**रू./किलोवाटघंटा)	4.13	4.35	4.51
प्राप्त सब्सिडी आधार पर अंतर (रू./किलोवाटघंटा)	0.89	0.80	0.63
एटीएंडसी हानि (%)	25.82	22.86	24.99

(ग) से (ङ) : वर्ष 2014-15 के लिए प्राप्त सब्सिडी आधार पर राज्य-वार लाभ/(हानि) तथा सब्सिडी प्राप्त आधार पर समरूपी अंतर सबसे अधिक हानि से सबसे कम हानि वाले राज्यों के क्रम में **अनुबंध** में दिए गए हैं।

राज्य डिस्कामों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने और निष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उदय योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य 30 सितंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार 31 मार्च, 2017 तक डिस्कॉम ऋणों का 75% भाग लेंगे।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 25.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 764 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

उपभोक्ताओं को सीधे बेच रही यूटिलिटियों के लिए राज्य-वार लाभ/(हानि) और अंतर

	2014-15	
राज्य	**सब्सिडी प्राप्ति आधार पर लाभ/(हानि) (रुपए करोड़ में)**	**अंतर (सब्सिडी प्राप्ति आधार पर) (रुपए/कि.वा.घं.)**
तमिलनाडु	(12,757)	1.49
राजस्थान	(12,474)	1.84
उत्तर प्रदेश	(8,675)	1.06
मध्य प्रदेश	(5,001)	0.89
जम्मू व कश्मीर	(3,913)	2.86
तेलंगाना	(2,912)	0.57
आंध्र प्रदेश	(2,549)	0.57
हरियाणा	(2,117)	0.41
छत्तीसगढ़	(1,569)	0.65
केरल	(1,273)	0.57
बिहार	(1,239)	0.66
पंजाब	(1,100)	0.23
ओडिशा	(929)	0.39
असम	(578)	0.77
महाराष्ट्र	(366)	0.04
नागालैंड	(315)	4.46
उत्तराखंड	(260)	0.23
अरुणाचल प्रदेश	(257)	3.54
मेघालय	(202)	1.34
मिजोरम	(192)	3.58
सिक्किम	(126)	1.48
हिमाचल प्रदेश	(125)	0.10
त्रिपुरा	(82)	0.42
झारखंड	(37)	0.03
गोवा	(17)	0.05
मणिपुर	0	0.00
पश्चिम बंगाल	20	(0.01)
कर्नाटक	85	(0.02)
गुजरात	108	(0.02)
पुडुचेरी	157	(0.56)
दिल्ली	418	(0.18)

स्रोतः पावर फाइनेंस कारपोरेशन

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-765

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

ताप-विद्युत तथा जल-विद्युत संयंत्रों को वित्तीय सहायता

765. श्रीमती विप्लव ठाकुरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ऐसे ताप-विद्युत और जल-विद्युत संयंत्रों को वित्तीय सहायता देने के उपायों पर विचार कर रही है जिन्हें लागत बढ़ने और अधिक समय लगने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और जिनके पास पर्याप्त निधियां नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समस्या का समाधान करने और विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए क्या-क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जिन ताप विद्युत एवं जल विद्युत संयंत्रों को लागत बढ़ने और अधिक समय लगने का सामना करना पड़ रहा है और उनके पास पर्याप्त निधियां नहीं हैं, उनकी वित्तीय सहायता के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न कदम उठा रहा है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, परियोजना के वित्तपोषण के लिए वित्तपोषण का 80:20 तक का अधिकतम ऋण/इक्विटी अनुपात, जो परियोजना के व्यवहार्य होने के अध्यधीन है तथा परियोजना की प्रगति पर निर्भर करता है, परियोजना को समय से पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए लास्ट माइल इक्विटी की अनुमति, जो कि परियोजना की प्रगति पर निर्भर करती है, परियोजना चालू करने तथा प्रचालन स्थिरीकरण के लिए आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, उपयुक्त ऋण स्थगन अवधि की अनुमति देते हुए संशोधित परियोजना समय-सीमाओं के अनुरूप भुगतान अनुसूची पुनः बनाने, आरबीआई द्वारा दी गई छूट के अनुसार, परियोजना के 80% कार्यकाल तक की लम्बी पुनर्भुगतान अवधि, परियोजना के नकद प्रवाह के अनुरूप संरचित पुनःभुगतान (बैलूनिंग/ईएमआई आधारित इत्यादि) परियोजना व्यवहार्यता सुनिश्चित करते हुए विद्युत क्रय करार (पीपीए) व्यवस्था के न्यूनतम थ्रेसहोल्ड स्तर पर परियोजनाओं का वित्तपोषण, पावर एक्सचेंज के माध्यम से व्यापारिक बिक्री के विकल्प की अनुमति देना तथा ऐसी व्यवस्थाओं से व्यवहार्य बने रहने वाली परियोजनाओं का वित्तपोषण शामिल है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-766

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत की कमी वाले राज्य

766. श्री राजकुमार धूतः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत की कमी वाले राज्यों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राज्यों में निर्धारित समय-सीमा के अंदर विद्युत की कमी को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार रखती है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को दी गई सूचना के अनुसार, चालू वर्ष अर्थात 2016-17 (अप्रैल से जून, 2016) की अवधि के दौरान विद्युत की कमी झेलने वाले राज्यों सहित देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध** में हैं।

(ग) : देश में विद्युत की कमी झेलने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) 12वीं योजना, अर्थात् वर्ष 2016-17 तक, के दौरान 1,18,537 मेगावाट (88,537 मेगावाट पारंपरिक और 30,000 मेगावाट नवीकरणीय सहित) की क्षमता अभिवृद्धि। इसकी तुलना में 30 जून, 2016 तक पारंपरिक स्रोतों से लगभग 86,565 मेगावाट नवीकरणीय स्रोतों से लगभग 19,500 मेगावाट क्षमता प्राप्त की जा चुकी है।

(ii) 12वीं योजना, अर्थात् वर्ष 2016-17 तक, के दौरान 1,07,440 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों का निर्माण और 2,82,740 एमवीए अंतरण क्षमता के निर्माण की आयोजना की गई है। इसकी

तुलना में 30 जून, 2016 तक 89,813 सर्किट कि.मी. की पारेषण लाइनें तथा 2,66,033 एमवीए की अंतरण क्षमता प्राप्त की गई है।

(iii) भारत सरकार ने राज्यों के साथ भागीदारी से 24x7 सभी के लिए विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए पहल शुरू की है।

(iv) भारत सरकार द्वारा पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति देने तथा लाइन हानियों को कम करने के लिए उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण तथा कृषि फीडरों के पृथक्करण के लिए दो नई स्कीमों अर्थात् दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(v) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और अन्य मांग पक्ष प्रबंधन उपायों को बढ़ावा देना।

(vi) केंद्र सरकार ने डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक और वित्तीय टर्नअराउंड के लिए 20.11.2015 को एक नई स्कीम अर्थात् उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) अधिसूचित की है।

(vii) उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाएं शीघ्र पूरा किए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मामलों का तेजी से समाधान करना।

(viii) स्ट्रैंडिड गैस आधारित उत्पादन के लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से सहायता उपलब्ध कराना।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 25.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 766 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

2016-17 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति								
	ऊर्जा				व्यस्ततम			
राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	अप्रैल, 2016 - जून, 2016				अप्रैल, 2016 - जून, 2016			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष/कमी (-)		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	अधिशेष/कमी (-)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	489	489	0	0	361	361	0	0
दिल्ली	9,413	9,397	-16	-0.2	6,308	6,260	-48	-0.8
हरियाणा	12,611	12,611	0	0.0	8,763	8,763	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	2,169	2,156	-13	-0.6	1,330	1,330	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	4,403	3,600	-803	-18.2	2,478	2,102	-376	-15.2
पंजाब	14,081	14,081	0	0.0	10,972	10,972	0	0.0
राजस्थान	17,190	17,168	-22	-0.1	9,906	9,906	0	0.0
उत्तर प्रदेश	28,155	27,256	-899	-3.2	16,081	15,501	-580	-3.6
उत्तराखंड	3,405	3,380	-25	-0.7	2,020	1,945	-75	-3.7
उत्तरी क्षेत्र	91,917	90,139	-1,778	-1.9	52,726	51,086	-1,640	-3.1
छत्तीसगढ़	6,164	6,140	-24	-0.4	3,875	3,851	-25	-0.6
गुजरात	28,292	28,292	0	0.0	14,724	14,708	-16	-0.1
मध्य प्रदेश	15,428	15,427	-1	0.0	8,145	8,111	-34	-0.4
महाराष्ट्र	36,650	36,613	-37	-0.1	20,057	20,021	-36	-0.2
दमन व दीव	595	595	0	0.0	304	304	0	0.0
दादर व नागर हवेली	1,524	1,524	0	0.0	781	781	0	0.0
गोवा	1,271	1,269	-2	-0.2	497	496	-1	-0.3
पश्चिमी क्षेत्र	89,925	89,862	-63	-0.1	45,369	44,957	-412	-0.9
आंध्र प्रदेश	13,162	13,127	-35	-0.3	7,576	7,361	-215	-2.8
तेलंगाना	12,043	12,039	-4	0.0	6,935	6,894	-41	-0.6
कर्नाटक	16,291	16,063	-228	-1.4	9,980	9,551	-428	-4.3
केरल	6,296	6,277	-19	-0.3	4,132	3,996	-135	-3.3
तमिलनाडु	27,375	27,367	-8	0.0	14,823	14,823	0	0.0
पुडुचेरी	677	676	-1	-0.1	371	368	-3	-0.7
लक्षद्वीप#	12	12	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	75,845	75,549	-296	-0.4	40,752	40,472	-280	-0.7
बिहार	6,848	6,705	-143	-2.1	3,662	3,638	-24	-0.7
डीवीसी	4,626	4,599	-27	-0.6	2,562	2,562	0	0.0
झारखंड	2,040	2,034	-6	-0.3	1,498	1,498	0	0.0
ओडिशा	7,186	7,184	-2	0.0	4,012	4,012	0	0.0
पश्चिम बंगाल	13,175	13,128	-47	-0.4	8,073	8,049	-24	-0.3
सिक्किम	124	124	0	0.0	112	112	0	0.0
अंडमान निकोबार#	60	45	-15	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	34,000	33,775	-225	-0.7	18,642	18,596	-46	-0.2
अरुणाचल प्रदेश	165	160	-5	-3.0	141	139	-2	-1.4
असम	2,221	2,092	-129	-5.8	1,511	1,458	-53	-3.5
मणिपुर	171	163	-8	-4.7	152	151	-1	-0.7
मेघालय	392	392	0	0.0	311	311	0	0.0
मिजोरम	119	116	-3	-2.5	88	88	0	0.0
नागालैंड	168	164	-4	-2.4	119	119	0	0.0
त्रिपुरा	423	412	-11	-2.6	275	273	-2	-0.6
पूर्वोत्तर क्षेत्र	3,659	3,498	-161	-4.4	2,487	2,475	-12	-0.5
अखिल भारत	295,344	292,822	-2,522	-0.9	152,974	149,971	-3,003	-2.0

लक्षदवीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड अलोन प्रणाली में हैं, इसलिए इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-767

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

छोटे और सीमांत किसानों को बिजली मुहैया कराना

767. श्री अनुभव मोहंतीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि ओडिशा में छोटे और सीमांत किसानों को विद्युत की कमी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) मंत्रालय ऐसे किसानों की किस प्रकार से सहायता करने का विचार रखता है; और

(ग) क्या मंत्रालय छोटे तथा सीमांत किसानों को कृषिगत प्रयोजनों के लिए उपयोग हेतु रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने पर विचार करेगा?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। राज्य के भीतर छोटे और सीमांत किसानों सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्राप्त दरों अथवा बहुत मामूली दरों पर विद्युत की आपूर्ति करना संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार केंद्रीय क्षेत्र के उत्पादन केंद्रों से विद्युत का आबंटन करके और उनको अंतरराज्यीय स्तर पर विद्युत के अंतरण को सुविधाजनक बनाते हुए राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ओडिशा में बिजली की कोई कमी नहीं है। ओडिशा में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए, केंद्र सरकार ने ओडिशा को विभिन्न केंद्रीय उत्पादन केंद्रों से 1750 मेगावाट का आबंटन किया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-768

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

देश में विद्युत की स्थिति

768. श्री सी. पी. नारायणनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2015-16 के दौरान देश में विद्युत की मांग क्या थी;

(ख) इसी अवधि के दौरान विद्युत की आपूर्ति कितनी थी;

(ग) क्या विद्युत की कुछ मात्रा का उपयोग नहीं किया गया था और यदि हां, तो कितना और इसके क्या कारण हैं;

(घ) मार्च, 2016 के अंत तक कितने लोगों को विद्युत कनेक्शन प्राप्त होने शेष थे और इस असंगति ने क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार को इस पर कब तक काबू पाने की संभावना है और कुल अपेक्षित व्यय कितना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वर्ष 2015-16 के दौरान देश में विद्युत की आवश्यकता (मांग) और उपलब्धता क्रमशः 1,114 बिलियन यूनिट (बीयू) और 1,091 बीयू थी।

(ग) : कम मांग और वित्तीय अवरोधों के कारण कुछ राज्य विद्युत की खरीद नहीं कर पाए जिसके परिणामस्वरूप कुछ उत्पादन इकाईयों द्वारा आरक्षित बंदी हुई। यूटिलिटियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2015-16 के दौरान ऐसी उत्पादन इकाईयों की आरक्षित की बंदी (उपयुक्त विद्युत) की वजह से अनुमानतः 104.5 बीयू की उत्पादन हानि हुई।

(घ) और (ङ) : मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के आरई घटक के अंतर्गत, 397.41 लाख गरीबी रेखा से नीचे आने वाले घरों को शामिल करने के लक्ष्य की तुलना में 232.25 लाख गरीबी रेखा से नीचे के घरों को बिजली कनेक्शन दिए गए थे। इसलिए, मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 165.16 लाख गरीबी रेखा से नीचे के घरों को बिजली कनेक्शन दिए जाने अभी शेष थे।

उप-पारेषण और वितरण अवरोध, उच्च सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों, गैस की अपर्याप्त उपलब्धता और कई राज्य यूटिलिटियों की खराब वित्तीय स्थिति इस मांग-आपूर्ति अंतर के कारण हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को दी गई जानकारी के अनुसार, विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को वर्ष 2015-16 के दौरान अब तक के न्यूनतम स्तर 2.1 प्रतिशत तक लाया गया है जिसमें चालू वर्ष 2016-17 (अप्रैल, 2016 - जून, 2016) के दौरान 0.9 प्रतिशत तक की और कमी आई है।

18वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण के अनुसार विद्युत की संभावित मांग को पूरा करने के लिए, अखिल भारत आधार पर 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए पारंपरिक स्रोतों द्वारा 88,537 मेगावाट की क्षमता वृद्धि की आयोजना है। इस स्तर की क्षमता वृद्धि के द्वारा 12वीं योजना (2016-17) के अंतिम वर्ष तक अखिल भारत आधार पर विद्युत की मांग को पूरा किए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 30,000 मेगावाट की ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय क्षमता की आयोजना की गई है।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार विद्युत उत्पादन एक लाइसेंस रहित गतिविधि है और उत्पादन परियोजना विकासकर्ता अपनी उत्पादन परियोजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था करता है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-769

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

'उदय' (यूडीएवाई) के अंतर्गत डिस्कॉम का पुनरुद्धार किया जाना

769. श्री हुसैन दलवई:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत तक विद्युत वितरण कम्पनियों पर डिस्कॉम-वार कितनी-कितनी ऋण राशि बकाया है, इसके क्या कारण हैं;

(ख) उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) से जुड़ने के लिए कितने राज्य सहमत हो गए हैं और क्या इससे राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ बढ़ने की संभावना है;

(ग) 'उदय' में केन्द्र का कितना योगदान होगा; और

(घ) क्या डिस्कॉम का पुनरुद्धार करने के लिए 'उदय' के अलावा हाल ही में कोई और प्रयास किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत वित्त निगम लिमिटेड द्वारा प्रकाशित नवीनतम "राज्य विद्युत यूटिलिटियों की निष्पादन रिपोर्ट" के अनुसार, उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री कर रही यूटिलिटियों का दिनांक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया ऋण 4,06,825.00 करोड़ रुपये है। बकाया ऋण के यूटिलिटी-वार तथा राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में हैं। राज्य विद्युत यूटिलिटियों की खराब वित्तीय स्थिति के मुख्य कारणों में उच्च सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियां, आपूर्ति की उच्च औसत लागत (एसीएस) तथा कम औसत राजस्व प्राप्तियां शामिल हैं।

(ख) : अब तक तेरह (13) राज्यों ने उदय के अंतर्गत भारत सरकार के साथ समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके अतिरिक्त 8 और राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र ने भी उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन

योजना (उदय) के अंतर्गत भागीदारी के लिए अपना 'सैद्धांतिक' अनुमोदन दे दिया है। चूंकि डिस्कॉम के ऋण राज्यों की आकस्मिक देयताएं होती हैं, इसलिए राज्यों पर कोई वित्तीय भार पड़ने की संभावना नहीं है। वस्तुतः उदय का लक्ष्य डिस्कॉम के ऋणों की ब्याज लागत को कम करके वित्तीय भार को कम करना है।

(ग) : उदय के अंतर्गत, सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है। तथापि, स्कीम में, भागीदार राज्यों द्वारा वहन किये गये डिस्कॉम ऋणों के वित्तीय दायित्व तथा बजटीय प्रबंधन (एफआरबीएम) से दो वर्षों की छूट देकर, घरेलू कोयले की आपूर्ति बढ़ाकर, कोयला लिंकेज यौक्तिकीकरण, अदक्ष से दक्ष संयंत्रों को कोयला स्वैप करने की उदार अनुमति देकर, राज्यों को अधिसूचित मूल्यों पर कोयला लिंकेज का आबंटन करके तथा यदि वे स्कीम के प्रचालनात्मक माइल स्टोन को पूरा करें तो विद्युत मंत्रालय एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की स्कीमों में अतिरिक्त/प्राथमिकता वित्तपोषण करके भागीदार राज्यों को प्रोत्साहित किया जाता है।

(घ) और (ङ) : सात राज्यों ने वित्तीय पुनर्गठन के लिए वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी), 2012 में शामिल हुए थे। तथापि, वे लक्ष्यों को हासिल न कर पाने के कारण डिस्कॉम का कायाकल्प नहीं कर सके।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 25.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 769 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

उपभोक्ताओं को सीधे बेच रही यूटिलिटियों के लिए कुल बकाया ऋण

(रुपए करोड़ में)

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार
पूर्वी	**बिहार**	एनबीपीडीसीएल	1,776
		एसबीपीडीसीएल	2,040
	बिहार कुल		**3,816**
	झारखंड	जेएसईबी	265
	झारखण्ड कुल		**265**
	ओडिशा	सीईएसयू	2,163
		एनईएससीओ	933
		एसईएससीओ	721
		डब्ल्यूईएससीओ	769
	ओडिशा कुल		**4,585**
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	0
	सिक्किम कुल		**0**
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	12,871
	पश्चिम बंगाल कुल		**12,871**
पूर्वी कुल			**21,536**
पूर्वोत्तर	**अरुणाचल प्रदेश**	अरुणाचल प्रदेश पीडी	0
	अरुणाचल प्रदेश कुल		**0**
	असम	एपीडीसीएल	2,260
	असम कुल		**2,260**
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	0
	मणिपुर कुल		**0**
	मेघालय	एमईपीडीसीएल	388
	मेघालय कुल		**388**
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	32
	मिजोरम कुल		**32**
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	328
	नागालैंड कुल		**328**
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	237
	त्रिपुरा कुल		**237**
पूर्वोत्तर कुल			**3,246**
उत्तरी	**दिल्ली**	बीएसईएस राजधानी	3,702
		बीएसईएस यमुना	2,858
		टीपीडीडीएल	3,782
	दिल्ली कुल		**10,343**
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	14,659
		यूएचबीवीएनएल	19,425
	हरियाणा कुल		**34,085**
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी लि.	4,590
	हिमाचल प्रदेश कुल		**4,590**
	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर पीडीडी	166
	जम्मू एवं कश्मीर कुल		**166**

	पंजाब	पीएसपीसीएल	21,903
	पंजाब कुल		**21,903**
	राजस्थान	एवीवीएनएल	27,017
		जेडीवीवीएनएल	25,956
		जेवीवीएनएल	28,176
	राजस्थान कुल		**81,149**
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	20,477
		केईएससीओ	3,151
		एमवीवीएन	10,704
		पश्चिम वीवीएन	9,941
		पूर्व वीवीएन	12,709
	उत्तर प्रदेश कुल		**56,982**
	उत्तराखंड	उत्तराखंड पीसीएल	1,388
	उत्तराखंड कुल		**1,388**
उत्तरी कुल			**210,607**
	आंध्र प्रदेश	एपीईपीडीसीएल	3,879
		एपीएसपीडीसीएल	9,958
	आंध्र प्रदेश कुल		**13,837**
	कर्नाटक	बीईएससीओएम	5,489
		सीएचईएससीओएम	964
		जीईएससीओएम	726
		एचईएससीओएम	1,983
		एमईएससीओएम	677
	कर्नाटक कुल		**9,838**
	केरल	केएसईबीएल	5,810
	केरल कुल		**5,810**
	पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडी	0
	पुडुचेरी कुल		**0**
	तमिलनाडु	टीएएनजीईडीसीओ	75,467
	तमिलनाडु कुल		**75,467**
	तेलंगाना	टीएसएवपीडीसीएल	4,867
		टीएसएसपीडीसीएल	7,059
	तेलंगाना कुल		**11,926**
दक्षिणी कुल			**116,877**
	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	1,907
	छत्तीसगढ़ कुल		**1,907**
	गोवा	गोवा पीडी	54
	गोवा कुल		**54**
	गुजरात	डीजीवीसीएल	223
		एमजीवीसीएल	302
		पीजीवीसीएल	1,136
		यूजीवीसीएल	524
	गुजरात कुल		**2,186**
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्रवीसीएल	11,762
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	9,807
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	11,822
	मध्य प्रदेश कुल		**33,391**
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	17,021
	महाराष्ट्र कुल		**17,021**
पश्चिमी कुल			**54,559**
सकल योग			**406,825**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-770

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

'दक्षेस' देशों में विद्युत व्यापार के कारण हुई बचत

770. श्रीमती वानसुक साइमः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्व बैंक के अर्थशास्त्रियों के एक दल द्वारा हाल ही में किए गये अध्ययन में यह कहा गया है कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस) देशों में विद्युत में क्षेत्रीय व्यापार से भारत अगले बीस वर्षों में अनुमानित रूप से 26 बिलियन डालर से भी अधिक की राशि को 35,000 मेगावाट की कोयला जनित क्षमता में निवेश करने से बचा सकता है;

(ख) क्या इस अध्ययन में मालदीव को छोड़कर सभी दक्षेस राष्ट्र शामिल हैं जोकि भारत में ताप विद्युत को जल विद्युत से प्रतिस्थापित करने की व्यवहार्यता के बारे में किया गया है और यह जल विद्युत अधिकांशतः नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान द्वारा आउटसोर्स की जाएगी; और

(ग) भारत के भावी विद्युत परिदृश्य के संबंध में इस अध्ययन की अन्य विशेषताएं क्या-क्या हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : दिनांक 28.06.2016 की मीडिया रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि सार्क देशों के बीच क्षेत्रीय विद्युत व्यापार पर विश्व बैंक अर्थशास्त्रियों द्वारा एक अध्ययन कराया गया है। विश्व बैंक से प्राप्त इनपुट के अनुसार **श्री** माइकल टॉमन एंण्ड गोविन्द तिमिलसिना स्वयं के विश्लेषण कार्य पर आधारित इस अध्ययन में दक्षिण एशिया क्षेत्र **(**एसएआर**) -** अफगानिस्तान**,** बांग्लादेश**,** भूटान**,** भारत**,** नेपाल**,** पाकिस्तान और श्रीलंका को शामिल किया गया है। मालदीव को इस अध्ययन में शामिल नहीं किया गया है**,** चूंकि इसकी स्थान स्थिति इसको क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली एकीकरण और व्यापार के क्षेत्र से बाहर रखती है।

विश्व बैंक और अन्य बाहरी निधियन एजेंसियां नियमित रूप से उनके स्वयं के ऐसे अध्ययन करती हैं और अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालती है जो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-771

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

राज्य डिस्कॉम की विद्युत खरीदने की क्षमता

771. डॉ. कनवर दीप सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्य डिस्कॉम अपनी खराब वित्तीय हालत के कारण विद्युत खरीदने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है; और

(घ) क्या सरकार आगामी दिनों में एक सुदृढ़ विद्युत मूल्य निर्धारण प्रणाली लाने का विचार रखती है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : कई अन्य कारणों में से विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) की खराब वित्तीय स्थिति विद्युत की खरीद का एक निर्धारक कारक है। डिस्कॉम में वित्तीय संकट के लिए मुख्य कारणों में उच्च सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि और आपूर्ति की वृहत औसत लागत-औसत राजस्व वसूली (एसीएस-एआरआर) अंतर शामिल है।

(ग) : भारत सरकार ने राज्य स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के वित्तीय एवं प्रचालनात्मक टर्नअराउंड के लिए दिनांक 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की शुरूआत की है।

(घ) : उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी दर पर विद्युत उपलब्ध करवाने के लिए विद्युत मंत्रालय ने वितरण यूटिलिटियों द्वारा विद्युत का प्रापण करने के लिए दिशा-निर्देश और मानक बोली दस्तावेज तैयार किए हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने विद्युत के अल्पावधि प्रापण के लिए संशोधित दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं जिनमें डिस्कॉमों द्वारा अल्पावधि के लिए विद्युत का प्रापण "दीप" (दक्ष विद्युत मूल्यों की खोज) ई-बिडिंग पोर्टल के माध्यम से "रिवर्स नीलामी" प्रक्रिया सहित प्रशुल्क आधारित बोली के जरिए किए जाने की व्यस्था की गई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-772

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

पी. एल. एफ. में गिरावट

772. डॉ. कनवर दीप सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन 8 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गया था;

(ख) क्या प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) में 60 प्रतिशत से अधिक गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : गत वर्ष अर्थात वर्ष 2015-16 के दौरान विद्युत उत्पादन 1,107.82 बिलियन यूनिट (बीयू) हुआ, जबकि वर्ष 2014-15 के दौरान 1048.67 बीयू हुआ था जो 5.64% की वृद्धि है। तथापि चालू वर्ष 2016-17 (अप्रैल, 2016 से जून, 2016) के दौरान विद्युत उत्पादन 296.48 बीयू हुआ जबकि विगत वर्ष अर्थात 2015-16 (अप्रैल, 2015 से जून, 2015) की उसी अवधि के दौरान 272 बीयू हुआ था जो 9% की वृद्धि है।

(ख) से (घ) : वर्ष 2015-16 के दौरान देश में ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) 62.29% था जबकि 2014-15 के दौरान 64.25 % था जो 1.96% की कमी है तथापि, वर्तमान वर्ष 2016-17 (अप्रैल, 2016 से जून, 2016 तक) के दौरान, संयंत्र भार घटक में 63.4% का सुधार हुआ है।

संयंत्र भार घटक में कमी का मुख्य कारण चालू की गई विद्युत संयंत्र क्षमता (अर्थात 12वीं योजना (अप्रैल, 2012 से जून, 2016) के दौरान परंपरागत स्रोतों से 86,565 मेगावाट और नवीकरणीय स्रोतों से लगभग 19,500 मेगावाट की अभिवृद्धि की गई) तथापि चालू वर्ष 2016-17 (अप्रैल, 2016 से जून, 2016) के दौरान ऊर्जा आवश्यकता (मांग) 8.2% की वृद्धि हुई। संयंत्र भार घटक में सुधार लाने के लिए किए गए प्रयासों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल है:-

i. भारत सरकार द्वारा राज्य डिस्कामों की प्रचालनात्मक और वित्तीय दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कामों) के वित्तीय टर्नआरउंड के लिए यूडीएवाई (उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेन्स योजना) स्कीम को अनुमोदन प्रदान किया गया है ताकि वे अपने पीएलएफ को बढ़ाने से विद्युत का प्रापण करने में सक्षम हो सके।

ii. राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप में की गई पहल "सभी के लिए 24x7 विद्युत" से, विद्युत की पहुंच में वृद्धि होगी और तदनुसार बिजली की मांग में भी वृद्धि होगी जिसमें विद्युत संयंत्र का उपयोग बढ़ेगा।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-773

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

एल.ई.डी. बल्बों का स्वास्थ्य पर प्रभाव

773. श्री दिलीप कुमार तिर्कीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले मंत्रालय ने राजसहायता प्राप्त दरों पर एल. ई. डी. बल्ब बेचे थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि अमेरीकन मेडीकल एसोसिएशन द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन में यह पाया गया है कि एल. ई. डी. बल्ब का नीला प्रकाश शयन चक्र में गम्भीर व्यवधान उत्पन्न कर सकता है तथा आंखों की रोशनी पर भी हानिकर प्रभाव पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : "सभी के लिए वहनीय एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति" (उजाला) विद्युत क्षेत्र के 4 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की एक संयुक्त उद्यम कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है और यह धारणीय व्यावसायिक मॉडल पर आधारित है जिसमें दक्ष प्रकाश व्यवस्था की लागत ऊर्जा बिलों में बचतों से उपभोक्ता द्वारा चुकाई जाती है। इस स्कीम में सब्सिडी का कोई घटक नहीं है और मांग के संग्रह तथा थोक प्रापण ने एलईडी बल्बों की प्रापण कीमतों को 310/- रुपए (फरवरी, 2014) से 54.90 रुपए (मार्च, 2016) तक कम कर दिया है जिसे उपभोक्ता को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

(ख) और (ग) : एलईडी बल्बों में ऑप्टिकल डिफ्यूजरों के साथ फोसफोर कोटिंग, नीले प्रकाश के हानिकारक प्रभाव को न्यूनतम करने जैसे आवश्यक सुरक्षा उपाय भी उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) विशिष्टिकरण आईएस:16108 फोटो बायोलोजिकल मानकों को भी शामिल करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि एलईडी बल्बों का मानव नेत्रों पर कोई हानिकर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ईईएसएल एलईडी बल्बों के अपने सभी प्रापण में इस बीआईएस मानक का पालन करता है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-774

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

डी.डी.यू.जी.जे.वाई. के अंतर्गत तय लक्ष्य

774. श्री अजय संचेतीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी.डी.यू.जी.जे.वाई.) के अंतर्गत राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) अब तक इन लक्ष्यों को किस सीमा तक हासिल कर लिया गया है; और

(ग) देश में सभी गांवों का त्वरित विद्युतीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) दिसंबर, 2014 में 43033 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू की गई थी। इन कार्यों में गांव का विद्युतीकरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण, फीडर पृथक्करण, मीटरिंग और घरों तक विद्युत की पहुँच शामिल हैं। विभिन्न राज्यों के लिए 42392.47 करोड़ रुपए मूल के लागत वाली परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं तथा ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं। इन कार्यों को राज्यों द्वारा अवार्ड की गई तिथि से 24 माह के भीतर पूरा किया जाना है। इसके अतिरिक्त, 32860 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं ग्रामीण विद्युतीकरण घटक की भी समाहित की गई थीं। ग्रामीण विद्युतीकरण की राज्य-वार उपलब्धियां **अनुबंध-II** में दी गई हैं।

(ग) : सभी गांवों के त्वरित विद्युतीकरण के लिए राज्यों के परामर्श से समयबद्ध कार्यान्वयन कार्यक्रम तैयार किया गया है। विद्युतीकरण प्रक्रिया को 12 माइलस्टोन में विभाजित किया गया है और इनकी निगरानी विद्युत मंत्रालय, राज्यों और डिस्कॉमों सित बहु-स्तरों पर की जाती है। विद्युत मंत्रालय आरपीएम बैठक में प्रत्येक माह स्थिति की समीक्षा करता है और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों की सहायता के लिए सक्रिय कार्रवाई करता है।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 25.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 774 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/यूटी	परियोजनाओं की संख्या	कुल लागत (रुपए करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	178	944.16
2	अंडमान व निकोबार	2	20.96
3	अरुणाचल प्रदेश	1192	418.93
4	असम	548	1540.81
5	बिहार	38	5856.37
6	छत्तीसगढ़	933	1527.83
7	गोवा	2	20.00
8	गुजरात	27	924.72
9	हरियाणा	21	316.38
10	हिमाचल प्रदेश	12	159.12
11	जम्मू व कश्मीर	21	619.67
12	झारखंड	446	3885.24
13	कर्नाटक	62	1754.86
14	केरल	14	485.37
15	मध्य प्रदेश	204	2943.15
16	महाराष्ट्र	37	2163.44
17	मणिपुर	3	54.96
18	मेघालय	216	300.58
19	मिजोरम	8	30.43
20	नागालैंड	10	42.38
21	ओडिशा	299	1751.53
22	पंजाब	20	252.06
23	पुडुचेरी	2	20.15
24	राजस्थान	33	2819.41
25	सिक्किम	4	20.10
26	तमिलनाडु	27	924.12
27	तेलंगाना	9	462.30
28	त्रिपुरा	8	74.12
29	उत्तर प्रदेश	75	6946.91
30	उत्तराखंड	26	845.30
31	पश्चिम बंगाल	19	4262.10
32	दादर व नागर हवेली	1	5.00
	कुल	**4497**	**42392.47**

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 25.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 774 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

01.12.2014 से 30.06.2016 तक डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण की राज्य-वार उपलब्धि

क्रम सं.	राज्य	गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण	गांवों का गहन विद्युतीकरण	बीपीएल घरों को जारी किए गए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन
1	आंध्र प्रदेश	0	5500	374863
2	अरुणाचल प्रदेश	349	2	1317
3	असम	1486	886	49959
4	बिहार	2139	12572	1190863
5	छत्तीसगढ़	461	2986	60053
6	गुजरात	0	0	1726
7	हरियाणा	0	18	1
8	हिमाचल प्रदेश	9	17	37
9	जम्मू व कश्मीर	30	33	3963
10	झारखंड	1148	288	14221
11	कर्नाटक	2	1749	60963
12	केरल	0	270	32501
13	मध्य प्रदेश	308	13758	309726
14	महाराष्ट्र	0	84	678
15	मणिपुर	263	694	36408
16	मेघालय	162	27	481
17	मिजोरम	56	55	9170
18	नागालैंड	10	55	8040
19	ओडिशा	1381	1051	36712
20	पंजाब	0	397	1206
21	राजस्थान	287	4537	44509
22	सिक्किम	0	8	2030
23	तमिलनाडु	0	0	880
24	तेलंगाना	0	0	868
25	त्रिपुरा	9	199	15686
26	उत्तर प्रदेश	1369	14984	410063
27	उत्तराखंड	4	256	0
28	पश्चिम बंगाल	8	3908	19388
	कुल	**9481**	**64334**	**2686312**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-775

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

दक्षिणी राज्यों को उत्तरी ग्रिड से जोड़ा जाना

775. डॉ के. वी. पी. रामचन्द्र रावः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दक्षिणी राज्यों को उत्तरी ग्रिड से जोड़ने के वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इस दिशा में कार्य पूरा होने को है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिड, जिसमें सभी दक्षिणी राज्य नेशनल पावर ग्रिड से पहले से जुड़े हैं, उनमें 765 केवी रायचूर-शोलापुर सर्किट 1 एवं 2, 765 केवी नरेंद्र-कोल्हापुर, गजुवाका एचवीडीसी बैक-टू-बैक, तलचर-कोलार एचवीडीसी बाइपोल एवं चंद्रपुर एचवीडीसी बैक-टू-बैक पारेषण लाइनों जैसे विभिन्न उच्च क्षमता के पारेषण लिंक्स के माध्यम से उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी तथा पूर्वोत्तर ग्रिड (एनईडब्ल्यू ग्रिड) शामिल है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-776

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

बिजली उत्पादन में गिरावट

776. श्री के. टी. एस. तुलसीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मार्च, 2016 में भारत में बिजली उत्पादन में चिंताजनक गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी नहीं। भारत में मार्च, 2016 में विद्युत उत्पादन में किसी प्रकार की चिंताजनक गिरावट नहीं आई। मार्च, 2016 में 96.51 बिलियन यूनिट (बीयू) का उत्पादन हुआ था जो कि मार्च, 2015 के दौरान हुए 86.34 बिलियन यूनिट के उत्पादन की तुलना में 11.78% ज्यादा रहा।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-777

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

उजाला योजना के अंतर्गत एल.ई.डी. बल्बों का वितरण

777. श्री लाल सिंह वडोदियाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार की "उजाला" योजना के अंतर्गत देश में लोगों को कितने एल. ई. डी. बल्ब देना प्रस्तावित है और प्रति व्यक्ति कितने-कितने बल्ब देने का विचार है;

(ख) अब तक देश में कितने लोगों को इसका लाभ पहुंचा है और कितने बल्ब प्रदान किये गये हैं; और

(ग) गुजरात में प्रति व्यक्ति कितने-कितने बल्ब देने की योजना है और अब तक कितने लोगों को कितने बल्बों का वितरण किया जा चुका है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : मार्च, 2019 तक, 77 करोड़ पारंपरिक तापदीप्त बल्बों को हटाकर, एलईडी बल्ब लगाए जाने हैं। एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लि. (ईईएसएल) इन बल्बों को बदलने में उत्प्रेरक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, जबकि कई अन्य आपूर्तिकर्ता भी इसी कार्य में लगे हुए हैं। तथापि, प्रत्येक व्यक्ति को दिए जाने वाले बल्बों की कोई निश्चित संख्या प्रस्तावित नहीं है। दिनांक 18.07.2016 की स्थिति के अनुसार, ईईएसएल द्वारा 13.15 करोड़ से अधिक तथा अन्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा लगभग 8.0 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं।

(ग) : गुजरात में दिए जाने के लिए एलईडी बल्बों की कोई निश्चित संख्या प्रस्तावित नहीं की गई है। तथापि, ईईएसएल द्वारा 1.2 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब वितरित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। दिनांक 19 जुलाई, 2016 की स्थिति के अनुसार, लगभग 1.15 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-778

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र जल विद्युत संभाव्यता

778. श्री हिशे लांचुगपाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत क्षेत्र की अनुमानित संभाव्यता क्या है;

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य-वार अब तक ऐसी मात्रा का टैप किया गया है;

(ग) क्षेत्र में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में नाम-वार और राज्य-वार कितनी योजनाएं चालू हैं और कितनी प्रक्रियाधीन हैं;

(घ) इनमें कितनी परियोजनाएं विलम्ब से चल रही हैं; और

(ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावना के दोहन हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या विशेष प्रयास किये जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1987 में पूरी गई देश की जल विद्युत क्षमता के पुनर्मूल्यांकन अध्ययनों के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में चिन्हित जल विद्युत क्षमता सिक्किम में 4248 मेगावाट सहित 62604 मेगावाट (25 मेगावाट से अधिक) है।

(ख) और (ग) : एनईआर में 2007 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के साथ कुल 14 जल विद्युत परियोजनाएं (एचईपी) सिक्किम में 765 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 4 जल विद्युत परियोजनाओं सहित प्रचालन में हैं। एनईआर और सिक्किम में प्रचालन में जल विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

पाइपलाइन वाली जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में, 5480 मेगावाट की कुल क्षमता वाली कुल 15 जल विद्युत परियोजनाएं सिक्किम में 2526 मेगावाट सहित एनईआर में वर्तमान में निर्माणाधीन हैं जैसा कि **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) : निर्माणाधीन 5480 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 15 जल विद्युत परियोजनाओं में से, 5384 मेगावाट की कुल क्षमता वाली कुल 14 जल विद्युत परियोजनाओं में देरी हुई है।

(ङ) : पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत की व्यापक क्षमता का उपयोग करने के लिए, राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005 के अंतर्गत लम्बी अवधि के ऋण संबंधी वित्तपोषण के प्रावधान, सीईआरसी मानकों की तुलना में मूल्यह्रास की न्यूनतम दर पर प्रभार लगाने का विकल्प, नवीकरणीय विद्युत दायित्व आदि से जल विद्युत को छोड़कर दिनांक 15.08.2022 तक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए लागत आधिक्य प्रशुल्क क्षेत्र को बढ़ाने जैसे कई पहल की गई हैं।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 25.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 778 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में प्रचालन में जल विद्युत परियोजनाएं
(संस्थापित क्षमता 25 मेगावाट से अधिक)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	क्षेत्र/एजेंसी	चालू होने का वर्ष
	सिक्किम			
1	रंगित-III	60	केंद्रीय/एनएचपीसी	2000
2	तीस्ता-V	510	केंद्रीय/एनएचपीसी	2008
3	चूजाचैन	99	निजी/जीआईपीएल	2013-14
4	जोरथांग लूप	96	निजी/डीईपीएल	2015
	कुल (सिक्किम)	**765**		
	असम			
5	कोपिली	200 + 25	केंद्रीय/नीपको	1988-2003
6	खांडोंग	50	केंद्रीय/नीपको	1984 (2x25)
7	लोअर बोरपानी (कारबी लांगपी)	100	राज्य	2007
	कुल (असम)	**375**		
	मणिपुर			
8	लोकटक	**105**	केंद्रीय/एनएचपीसी	1983
	मेघालय			
9	उमियम उमतरू-IV	60	राज्य	1992
10	किरदमकुलई	60	राज्य	1997
11	उमियम स्टेज- I	36	राज्य	1965
12	मिटंडू स्टेज-I	126	राज्य	2012-13
	कुल (मेघालय)	**282**		
	अरुणाचल प्रदेश			
13	रंगानदी स्टेज-I	405	केंद्रीय/नीपको	2002
	कुल (अरूणाचल प्रदेश)	**405**		
	नागालैंड			
14	दोयांग	75	केंद्रीय/नीपको	2000
	कुल नागालैंड	**75**		
	कुल (एनईआर)	**1242**		
	सकल योग (एनईआर + सिक्किम)	**2007**		

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 25.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 778 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में निर्माणाधीन जल विद्युत स्कीमें

क्रम सं.	**परियोजना का नाम**	**संस्थापित क्षमता (मेगावट)**	**कार्यान्वयन एजेंसी**
पूर्वोत्तर क्षेत्र			
अरुणाचल प्रदेश			
1	सुबानसिरी लोअर	2000	एनएचपीसी
2	कामेंग	600	नीपको
3	पारे	110	नीपको
4	गोंगरी	144	दिरांग एनर्जी लि.
मेघालय			
5	न्यू उमतरू	40	एमईईसीएल
मिजोरम			
6	तुरियल	60	नीपको
कुल (एनईआर)		**2954**	
सिक्किम			
7	तीस्ता-III	1200	मैसर्स तीस्ता ऊर्जा लि.
8	तीस्ता-VI	500	मैसर्स लैंको एनर्जी प्रा. लि.
9	रंगित-IV	120	मैसर्स जल पावर कारपो. लि.
10	भास्मे	51	मैसर्स गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
11	ताशिडिंग	97	मैसर्स शीगा एनर्जी प्रा. लि.
12	दिक्चू*	96	मैसर्स स्नेहा काइनेटिक पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि.
13	रंगित-II	66	मैसर्स सिक्किम हाइड्रो पावर वेंचर्स लि.
14	रोंगनीचू	96	मैसर्स मध्य भारत पावर कारपो. लि.
15	पनन	300	मैसर्स हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि.
कुल (सिक्किम)		**2526**	
कुल (एनईआर + सिक्किम)		**5480**	

* गैर-विलंबित परियोजना

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-779

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

अधूरी पनबिजली परियोजनाएं

779. श्री हिशे लाचुंगपाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कई विकासकर्ताओं ने पनबिजली परियोजनाओं को इन पर करोड़ों रु. खर्च करने के बाद बीच में ही छोड़ दिया है;

(ख) विकासकर्ताओं द्वारा इन परियोजनाओं को बीच में छोड़ने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या विकासकर्ताओं को यह लग रहा है कि व्यवसाय की मनोदशा पनबिजली परियोजनाओं के विकास के विरुद्ध है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं और विकासकर्ताओं को पनबिजली उत्पादन के पक्ष में विश्वास उत्पन्न करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : निजी क्षेत्र में कुछ जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) पर इन परियोजनाओं के विकासकर्ताओं द्वारा निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है। ऐसी परियाजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

जल विद्युत परियोजनाएं पूंजीगत अधिकता वाली होती हैं और इनकी परिपक्वता अवधि लंबी होती है। निर्माण के चरण के दौरान अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण में विलंब, पर्यावरण और वन संबंधी मामलों, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना मामलों, भूवैज्ञानिक आकस्मिकताओं के कारण विलंबित हो जाती हैं।

सरकार द्वारा विकासकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए कई सुधारात्मक उपाय अर्थात राष्ट्रीय विद्युत नीति के अंतर्गत लंबे कार्यकाल के ऋण वित्तपोषण का प्रावधान, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) मानकों की तुलना में मूल्यह्रास की कम दर प्रभारित करने का विकल्प, 15.08.2022 तक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए लागत आधिक्य प्रशुल्क में वृद्धि करना, जल विद्युत को नवीकरणीय क्रय दायित्व से बाहर रखना इत्यादि किए हैं।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 25.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 779 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

बंद की गई जलविद्युत परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना/निष्पादन एजेंसी का नाम/क्षमता (मेगावाट)	राज्य	परियोजना अटकने के कारण	सरकार/विकासकर्ता द्वारा किए गए सुधारात्मक उपाय	व्यय (रूपए करोड़ में)
	निजी क्षेत्र				
1	**महेश्वर** श्री महेश्वर हाइडल पावर कारपोरेशन लिमिटेड 10x40= 400 मेगावाट	मध्य प्रदेश	कार्य नवंबर-11 से विकासकर्ता के साथ नकदी प्रवाह समस्या के कारण रोका गया।	मध्य प्रदेश सरकार के अपर प्रमुख सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन 16 अक्तूबर, 2014 को परियोजना को पूर्ण करने हेतु रास्ता निकालने के लिए किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 02 मई, 2015 को प्रस्तुत की। समिति ने महेश्वर परियोजना को चालू करने के लिए तीन परिदृश्य हेतु संस्तुति दी है। प्रथम परिदृश्य के तहत परियोजना को वर्तमान निजी विकासकर्ता के साथ पूर्ण करने के लिए अन्य प्रयास पर विचार किया गया था। प्रथम परिदृश्य की समयसीमा (2 अगस्त, 2015) प्रोत्साहकों द्वारा दूसरी आवश्यकताओं का पालन किए बिना बीत चुकी है। वर्तमान में, द्वितीय परिप्रेक्ष्य परियोजना के पुनरुद्धार की प्रक्रिया पर कार्य चल रहा है जिसमें परियोजना में प्रबंधन नियंत्रण के साथ अधिक साम्या वाली सरकारी कंपनियों की परिकल्पना की गई है।	3135.00 (मार्च, 2015 तक)
2	**तीस्ता-VI** लेंको तीस्ता हाइड्रो पावर लि. 4x125=500 मेगावाट	सिक्किम	निधि की कमी के कारण अप्रैल, 2014 से कोई प्रगति नहीं हुई है।	परियोजनाओं को फिर से शुरू करने के लिए विभिन्न पणधारकों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।	3144.00 (जून, 2015 तक)
3	**रंगित-IV** जल पावर का.लि. (जेपीसीएल) 3x40= 120 मेगावाट	सिक्किम	विकासकर्ता के साथ वित्तीय बाधाओं के कारण अक्तूबर-13 से कार्य रोक दिए गए।	परियोजनाओं को फिर से शुरू करने के लिए विभिन्न पणधारकों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।	804.37 (अगस्त, 2015 तक)

क्रम सं.	परियोजना/निष्पादन एजेंसी का नाम/क्षमता (मेगावाट)	राज्य	परियोजना अटकने के कारण	सरकार/विकासकर्ता द्वारा किए गए सुधारात्मक उपाय	व्यय (रूपए करोड़ में)
4	**तंग्नू रोमाई** तंग्नू रोमई पावर जेनरेशन 2x22=44 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश	वित्तीय मामलों के कारण जनवरी, 2015 से कार्य बंद कर दिए गए हैं।	विकासकर्ता निधियां जुटाने का मार्ग तलाश रहे हैं।	179.00 (मार्च, 2013 तक)
5	**गांगरी** दिरांग एनर्जी प्रा. लि. 2x72=144 मेगावाट	अरूणाचल प्रदेश	प्रोत्साहकों/ऋणदाताओं के साथ वित्त प्रवाह की समस्या के कारण अप्रैल, 2016 के दूसरे सप्ताह से कार्य रोक दिए गए।	विकासकर्ता निधियां जुटाने का मार्ग तलाश रहे हैं।	522.86 (नवंबर, 2015 तक)
6	**रंगित**-II सिक्किम हाइड्रो पावर लि. 2x33=66 मेगावाट	सिक्किम	ऋणदाताओं द्वारा विद्युत निकासी और भूमि अधिग्रहण मामलों के कारण निधियां जारी न हो पाने के चलते 2014 से कार्य रोक दिए गए हैं।	विकासकर्ता निधियां जुटाने का मार्ग तलाश रहे हैं।	-
7	**फाटा ब्यूंग** लेंको 2x38=76 मेगावाट	उत्तराखंड	- विकासकर्ता के साथ वित्तीय बाधाएं	विकासकर्ता निधियां जुटाने का मार्ग तलाश रहे हैं।	518.24 (जून, 2013 तक)

सकल योग = 1350 मेगावाट की 7 परियोजनाएं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-780

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

780. श्री प्रभात झाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) अभी देश के शेष कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है, तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस राज्य के शेष कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है, तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान क्रमशः 1405 और 7108 गांव विद्युतीकृत किए गए थे।

(ख) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 18.07.2016 की स्थिति के अनुसार, देश में 9085 गैर-विद्युतीकृत गांव हैं।

(ग) : मध्य-प्रदेश राज्य में विगत दो वर्षों अर्थात 2014-15 और 2015-16 के दौरान क्रमशः 86 और 214 गांव विद्युतीकृत किए गए थे। जिले-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में है।

(घ) : मध्य-प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 18.07.2016 की स्थिति के अनुसार, राज्य में 164 गैर-विद्युतीकृत गांव हैं। गैर-विद्युतीकृत गांवों का जिले-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में है।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 25.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 780 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में विगत दो वर्षों के दौरान विद्युतीकृत किए गए गैर-विद्युतीकृत गांवों की जिला-वार संख्या

क्रम सं.	जिले का नाम	के दौरान विद्युतीकृत गांवों की संख्या	
		2014-15	2015-16
1	अलीराजपुर	0	0
2	अनूपपुर	0	2
3	अशोकनगर	0	0
4	बालाघाट	45	13
5	बरवानी	0	25
6	बेतूल	0	11
7	भिंड	0	3
8	भोपाल	0	0
9	बुरहानपुर	0	7
10	छतरपुर	0	2
11	छिंदवाड़ा	0	0
12	दामोह	0	8
13	दतिया	0	0
14	देवास	0	0
15	धार	0	0
16	डिंडोरी	0	16
17	गुना	0	7
18	ग्वालियर	0	1
19	हर्दा	0	10
20	होशंगाबाद	0	6
21	इंदौर	0	0
22	जबलपुर	0	1
23	झबुआ	0	0
24	कटनी	0	15
25	खंडवा	0	0
26	खरगोन	1	7
27	मंडला	0	5
28	मंदसौर	0	0
29	मोरेना	5	10
30	नरसिम्हापुर	0	1

31	नीमूच	0	5
32	पन्ना	0	29
33	रायसेन	0	1
34	रायगढ़	2	0
35	रत्लम	0	0
36	रेवा	33	0
37	सागर	0	6
38	सतना	0	0
39	सेहोर	0	2
40	सिओनी	0	3
41	शाहडोल	0	0
42	शाहजापुर	0	0
43	शियोपुर	0	0
44	शिवपुरी	0	0
45	सिधी	0	6
46	सिंगरौली	0	5
47	टीकमगढ़	0	1
48	उज्जैन	0	0
49	उमरिया	0	1
50	विदिशा	0	5
51	पूर्वी निमार	0	0
52	पश्चिमी निमार	0	0
	कुल	**86**	**214**

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 25.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 780 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

मध्य प्रदेश राज्य में गैर-विद्युतीकृत गांवों का जिला-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	विद्युतीकृत होना है (18.07.2016 की स्थिति के अनुसार)
1	अलीराजपुर	7
2	अनूपपुर	8
3	बालाघाट	1
4	बरवानी	8
5	बेतूल	8
6	भिंड	0
7	बुरहानपुर	1
8	छतरपुर	0
9	छिंदवाड़ा	1
10	दामोह	29
11	देवास	0
12	डिंडोरी	5
13	गुना	0
14	ग्वालियर	2
15	हर्दा	0
16	होशंगाबाद	20
17	जबलपुर	2
18	झबुआ	1
19	कटनी	4
20	खरगोन	0
21	मंडला	2
22	मोरेना	3
23	नरसिम्हापुर	9
24	नीमूच	0
25	पन्ना	13
26	रायसेन	5
27	सागर	0
28	सेहोर	2
29	सिओनी	5
30	शाहडोल	3
31	शियोपुर	6
32	सिधी	0
33	सिंगरौली	4
34	टीकमगढ़	0
35	उमरिया	14
36	विदिशा	1
सकल योग		**164**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-781

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

बिहार और झारखंड में ग्रामीण विद्युतीकरण

781. श्री प्रेम चन्द गुप्ताः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत झारखंड और बिहार में ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो 10वीं योजना के तहत अब तक जिले-वार कितनी धनराशि जारी की गयी और कितने ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है; और

(ग) 12वीं योजना में आज की स्थिति के अनुसार कितने जिले व कितने गांवों में विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है और कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : देश के शेष बचे सभी गैर-विद्युतीकृत गांव, जिनमें झारखंड एवं बिहार के वो गांव भी शामिल हैं, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत विद्युतीकृत किये जा चुके हैं।

(ख) : दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, झारखंड तथा बिहार राज्य के लिए क्रमशः 261.66 करोड़ रुपये तथा 770.16 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी जारी की जा चुकी है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत बिहार राज्य में कुल 10,015 गैर-विद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत किया गया और झारखंड राज्य में कोई गैर-विद्युतीकृत गांव विद्युतीकृत नहीं किया गया। झारखंड तथा बिहार राज्य में जारी की गई जिला-वार निधियां क्रमशः **अनुबंध-I** तथा **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ग) : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, झारखंड राज्य में 5,167.08 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली 505 परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं, जिनमें 1,032 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण तथा 17,784 गांवों का गहन विद्युतीकरण कार्य शामिल है। इसी प्रकार से, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, बिहार राज्य में 11,077.02 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली 65 परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं जिनमें 2,927 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण तथा 21,833 गांवों का गहन विद्युतीकरण कार्य शामिल है।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 25.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 781 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत झारखंड में दसवीं पंचवर्षीय योजना में संस्वीकृत परियोजना के अंतर्गत जारी सब्सिडी और विद्युतीकृत गांवों की संख्या का जिले-वार ब्यौरा

क्रम सं.	जिले का नाम	जारी की गई सब्सिडी
1	बोकारो	12.71
2	धनबाद	12.07
3	गुमला	0.00
4	कोडरमा	11.56
5	सिमडेगा	0.00
6	पूर्व सिंहभूम	26.25
7	गढ़वा	24.39
8	लातेहर	22.20
9	पलामू	34.18
10	सराईकेला-खरसावन	20.51
11	पश्चिम सिंहभूम	48.73
12	देवघर	25.53
13	जमतारा	22.09
14	बीपीएल (2004-05)	1.44
कुल		**261.66**

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 25.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 781 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत बिहार में दसवीं पंचवर्षीय योजना में संस्वीकृत परियोजना के अंतर्गत जारी सब्सिडी विद्युतीकृत गांवों की संख्या का जिले-वार ब्यौरा

क्रम सं.	जिले का नाम	जारी की गई सब्सिडी
1	दरभंगा	8.72
2	पूर्व चम्पारण	30.18
3	मधुबनी	15.20
4	सीहोर	5.56
5	सीतामढ़ी	13.86
6	पश्चिम चम्पारण	20.22
7	अररिया	45.59
8	औरंगाबाद	56.08
9	बांका	28.70
10	भागलपुर	44.22
11	भोजपुर	14.06
12	बक्सर	31.96
13	गया (उत्तर)	44.79
14	गया (दक्षिण)	40.34
15	गोपालगंज	18.09
16	जमुई	43.80
17	कैमूर	32.16
18	किशनगंज	27.09
19	लखीसराय	4.56
20	मुंगेर	5.48
21	नालंदा	15.26
22	नवादा	15.07
23	पटना	26.27
24	पुरनिया	26.86
25	रोहतास	58.30
26	सरन	42.50
27	सीवान	51.99
28	कुटीर ज्योति योजना	3.26
कुल		**770.16**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-782

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

गोवा को वित्तीय सहायता

782. श्री शान्ताराम नायकः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार गोवा राज्य की विद्युत आवश्यकताओं में सुधार अथवा वृद्धि हेतु गोवा सरकार को वित्तीय सहायता दे रही है;

(ख) राज्य सरकार को, यदि कोई, सहायता दी गई है या दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उस योजना/योजनाओं के नाम क्या हैं, जिनके अन्तर्गत सरकार ने राज्य सरकार को वित्तीय सहायता या अन्य सहायता दी है या देने का विचार रखती है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी हां। भारत सरकार राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं में सुधार करने या संवर्धन के लिए गोवा को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:

(i) एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के अंतर्गत 32.23 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं गोवा राज्य के लिए स्वीकृत की गई है।

(ii) अब आईपीडीएस में समाहित पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के अंतर्गत 110.73 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं एवं कार्यान्वयन के लिए फरवरी, 2009 में स्वीकृत की गई थीं जिसमें से अब तक 31.47 करोड़ रुपए संवितरित किए जा चुके हैं।

(iii) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत गोवा राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों क लिए 20 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-783

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

उदय के कार्यान्वयन के लिए अन्तिम समय-सीमा का विस्तार

783. श्री मोहम्मद अली खानः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के कार्यान्वयन की अन्तिम समय-सीमा में एक वर्ष का विस्तार करते हुए उसे 31 मार्च, 2017 कर दिया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अब तक इस योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या योजना में शामिल होने से पहले राज्यों ने अपनी वित्तीय पुनर्संरचना कर ली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कितने राज्यों को इस योजना में शामिल होने के लिए अब तक सिद्धांतः अनुमोदन दिया गया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी हां। भारत सरकार ने राज्यों द्वारा उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) का लाभ उठाये जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए, स्कीम में शामिल होने के लिए स्कीम की समय-सीमा को दिनांक 31.3.2017 तक बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त, उदय स्कीम के अंतर्गत भागीदार राज्यों द्वारा दिनांक 30.09.2015 की स्थिति के अनुसार, डिस्कॉम के ऋणों का 50% भाग बॉंड के निर्गम के माध्यम से लिये जाने की समय-सीमा और जम्मू एवं कश्मीर राज्य के बकाया सीपीएसयू देयों को लिये जाने की समय-सीमा को अब दिनांक 31.03.2017 तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) : दिनांक 19.07.2016 की स्थिति के अनुसार, उदय के अंतर्गत भागीदार राज्यों द्वारा, परिकल्पित ऋण के 77% भाग को बॉंड के रूप में जारी किया जा चुका है और इस प्रकार से ब्याज लागत में कमी **आना** पहले से ही शुरू हो गयी है। विद्युत की लागत भी कम होने लगी है।

(ग) : सात राज्यों ने वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी), 2012 के अंतर्गत **अपनी** वित्तीय पुनर्गठन संरचना तैयार **की थी**, परंतु डिस्कॉम का कायाकल्प नहीं कर सके।

(घ) : अब तक, 13 राज्यों ने भारत सरकार के साथ पहले से ही समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। इनके अतिरिक्त, आठ राज्यों तथा एक संघ राज्य-क्षेत्र (यूटी) ने उदय में शामिल होने की इच्छा जताई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-784

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

राजस्थान में गाँवों का विद्युतीकरण

784. श्री नारायण लाल पंचारियाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान के कितने गाँवों और ढाणियों को विद्युत लाइन से जोड़ने के लिए संक्षिप्त रूप से सूचीबद्ध किया गया है और इस उद्देश्यार्थ कुल कितनी निधियां संस्वीकृत की गई हैं;

(ख) इस वर्ष के अंत तक राज्य के जोधपुर जिले की सभी ढाणियों को विद्युत लाइनों से जोड़ दिया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राजस्थान राज्य में 5522.69 करोड़ रूपए की परियोजना लागत से कुल 101 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं जिनमें विद्युतीकरण के लिए 4402 गैर-विद्युतीकृत गांव तथा 99,980 ढाणियां शामिल हैं।

(ख) और (ग) : राजस्थान राज्य से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर जोधपुर जिले की कुल 11,167 ढाणियां विद्युतीकरण के लिए शामिल की गई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-785

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

दिल्ली में विद्युत की कमी

785. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विद्युत खपत 6,260 मेगावाट के रिकार्ड स्तर पर पहुँच गई थी और जिसके कारण बार-बार विद्युत की कटौती करनी पड़ी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समयबद्ध तरीके से दिल्ली में बाधारहित विद्युत की आपूर्ति करने की कोई ठोस योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आने वाले वर्षों में उच्च मांग के समय में विद्युत की आपूर्ति के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को दी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जून, 2016 में विद्युत खपत 6260 मेगावाट के रिकार्ड स्तर पर पहुँच गई थी।

विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। अधिकतम मांग की पूर्ति सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को बाधारहित विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार सीपीएसयू के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों को स्थापित करके और उनको वहां से विद्युत आबंटित करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

दिल्ली में अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार ने दिनांक 03.12.2014 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को अनुदान के तौर पर 200 करोड़ रूपए दिए हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-786

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

नवीकरणीय ऊर्जा के अधिकार क्षेत्र में जल विद्युत को लाया जाना

786. श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमारः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार जल विद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा के अधिकार क्षेत्र में लाने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रस्ताव से जल विद्युत के उत्पादन में वांछनीय स्तर तक सुधार होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : वर्तमान में**,** 25 मेगावाट तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं **(**एसएचपी**)** के लिए उपलब्ध छूट के अंतर्गत**,** जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से ऊपर**)** को नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जल विद्युत को 28.01.2016 को अधिसूचित प्रशुल्क नीति, 2006 में हाल के संशोधनों के तहत अनिवार्य नवीकरणीय विद्युत क्रय दायित्व के अधिकार क्षेत्र से छूट दी गई है।

वर्तमान में**,** केंद्रीय सरकार 25 मेगावाट क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकासकर्ताओं को वित्तीय सहायता दे रही है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-787

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन लागत का अध्ययन

787. श्री के. के. रागेशः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में जल विद्युत, ताप विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन की लागत के बारे में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): कोई अध्ययन नहीं किया गया है परंतु सीईए प्रश्नावली के माध्यम से उत्पादन यूनिटों से प्रतिवर्ष सूचना **मांगता** है। यह सूचना पैन इंडिया के आधार पर मांगी जाती है**,** जिसमें 1955 से चालू हुए उत्पादन स्टेशन शामिल हैं। लगभग 500 उत्पादन यूनिटों ने वर्ष 2013-14 के लिए प्रश्नावली पर प्रतिक्रिया की थी। वर्ष 2013-14 के लिए प्राप्त भारित औसत आंकड़ों के अनुसार प्रणाली-वार उत्पादन लागत निम्नलिखित है :

उत्पादन की प्रणाली	**विद्युत की औसत लागत पैसा/किलोवाटघंटा में**
अखिल भारत जल विद्युत	114.45
गैस, लिग्नाइट इत्यादि सहित अखिल भारत ताप विद्युत	247.18
अखिल भारत नाभिकीय विद्युत	199.51
अखिल भारत **(**सभी श्रेणी**)**	228.48

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-788

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना संबंधी प्रस्तावों की स्थिति

788. श्री तपन कुमार सेनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार को राज्यों से विद्युत योजनाओं की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान संस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या और सरकार के अनुमोदन हेतु अभी भी लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ग) प्रस्तावों के लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 7 के अनुसार, कोई भी उत्पादन कंपनी यदि ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का अनुपालन करती है तो वह इस अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस/ अनुमति प्राप्त किए बगैर उत्पादन स्टेशन की स्थापना, प्रचालन और रख-रखाव कर सकती है। तदनुसार, ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तथापि, जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल, 2013 से) के दौरान, जल विद्युत परियोजना (स्कीमों) की 12 डीपीआर सहमति/मूल्यांकन के लिए सीईए में प्राप्त हुई हैं। प्राप्त जल विद्युत स्कीमों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया हैं।

(ग) : डीपीआर की सहमति में विलंब के लिए मुख्य कारण बैंक द्वारा स्वीकार्य डीपीआर बनाने में विकासकर्ताओं की ओर से विलंब भूवैज्ञानिक जांच, गणितिय माडल अध्ययन, हाड्रोफेक्चर जांच, सूक्ष्म भूकम्प, अध्ययन (एमईक्यू) इत्यादि सहित अपेक्षित अध्ययन नहीं करना तथा विभिन्न मूल्यांकन समूहों द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए समय पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करना है।

(घ) : सीईए पूर्ण डीपीआर प्रस्तुत करने की तिथि से मूल्यांकन एजेन्सियों के अवलोकनों के अनुपालन के लिए विकासकर्ता द्वारा लिए गए समय को छोड़ कर जहां तक व्यावहारिक होता है, 150 कार्यदिवसों की अवधि के भीतर सहमति प्रदान करने का प्रयास करता है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 25.07.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 788 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

एचई स्कीमों का ब्यौरा

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	प्राप्ति की तिथि	वर्तमान स्थिति
1	टाटो-I	अरुणाचल प्रदेश	निजी	186	मई-13	सहमति दी गई
2	हियो	अरुणाचल प्रदेश	निजी	240	जुलाई-13	सहमति दी गई
3	चांगो यांगथांग	हिमाचल प्रदेश	निजी	180	नवंबर-13	सहमति दी गई
4	कंगटांग शिरी	अरुणाचल प्रदेश	निजी	80	मई-13	वापस की गई
5	स्वालकोट	जम्मू व कश्मीर	राज्य	1856	जनवरी-14	डीपीआर सीईए के पास है
6	क्वार	जम्मू व कश्मीर	संयुक्त उद्यम	540	मई-14	डीपीआर सीईए के पास है
7	किरथई-II	जम्मू व कश्मीर	राज्य	930	अप्रैल-16	डीपीआर सीईए के पास है
8	सुबानसिरी मिडिल (कमला)	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1800	अक्तूबर-13	डीपीआर सीईए के पास है
9	अट्टुनली	अरुणाचल प्रदेश	निजी	680	अक्तूबर-14	डीपीआर सीईए के पास है
10	मोगोचू	अरुणाचल प्रदेश	निजी	96	मार्च-16	डीपीआर सीईए के पास है
11	लोकटक डी/एस	मणिपुर	केंद्रीय	66	मार्च-15	डीपीआर सीईए के पास है
12	टुर्गा पीएसएस	पश्चिम बंगाल	राज्य	1000	दिसंबर-15	डीपीआर सीईए के पास है

****